राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(भारत सरकार का उपक्रम)
केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर
जिला: अनूपगढ़, राजस्थान – 335702
सी.आाई.एन: यू74899डीएल1963जीओआई003913
(आईएसओ 9001:2015 व 14001:2015 प्रमाणित कम्पनी)

(A Government of India Undertaking)
CENTRAL STATE FARM, JETSAR
Dist. Anupgarh, Rajasthan-335702
CIN:U74899DL1963GOI 003913
(An ISO 9001:2015 & 14001:2015 Certified Company)

दूरभाष / **Phone:01498-61202,**
वेबसाईट / **Website:** www.indiaseeds.com ईमेल / **E-mail** - csf.jetsar@indiaseeds.com

पत्रांक:- के.रा.फा./ जैत/ 10-41/लकड़ी ढुलाई/कृषि/2024-25 दिनांक :-21-06-2024

अल्पकालीन निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केंद्रीय राज्य फार्म, जैतसर जिला अनुपगढ़ (राजस्थान) के फार्म के भिन्न –भिन्न चकों (नहर के Land Plan area को छोड़कर) में स्वतः गिरे पेड़ों एवं मृत / सूखे पेड़ों की जलाऊ व इमारती लकडियों को '' जहाँ हैं जैसा हैं '' के आधार पर स्वयं के साधन से लाने के पश्चात् निर्धारण किये गये क्षेत्र (खंड -1 व 3) में जलाऊ तथा इमारती लकडियों को अलग –अलग कर सुव्यवस्थित ढंग से लगाने हेतु वर्ष 2024-25 (मार्च 2025 तक की अवधि तक) के लिए इच्छुक ठेकेदारों से खंडवार निविदाये दिनांक 05-07-2024 को दोपहर 2:30 बजे तक आमन्त्रित की जाती हैं | जो उसी दिन अपराह्न 3:00 बजे खोली जायेगी | निविदा प्रपत्र का विक्रय दोपहर 12:30 बजे तक ही किया जाएगा | एक ठेकेदार केवल एक ही खंड में भाग ले सकेगा | उपरोक्त कार्य के लिए धरोहर राशि रूपये 25,000 प्रति खंड (रूपये पच्चीस हज़ार प्रति खंड मात्र) व निविदा प्रपत्र शुल्क रूपये 236.00 (200 + 18 % GST) हैं | जो डिमांड ड्राफ्ट अथवा RTGS /NEFT/ Online Transfer के माध्यम से नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड ,जैतसर के नाम से SBI बैंक। बाजूवाला (IFSC SBIN0008251, Account NO. 4153 2435 884) में जमा करानी होगी| नियम एंव शर्तो की जानकारी निगम की website – www.indiaseeds.com पर देखी जा सकती है |

प्रभारी उत्पादन
कृते फार्म प्रमुख

नियम–शर्ते

फार्म के तीनों खंडो के भिन्न -भिन्न चकों (नहर के Land Plan Area को छोड़कर)
मै स्वत: गिरे पडे पेडो की जलाऊ व इमारती लकडी की ढुलाई की नियम व शर्ते :-

1. फार्म के तीनों खंडो के भिन्न- भिन्न चकों (नहर के Land Plan Area को छोड़कर) मे स्वत: गिरे पेड़ो एंव मृत / सूखे पेड़ो की जलाऊ व इमारती लकड़ियों को ''जहां है जैसा है'' के आधार पर स्वयं के साधन से अलग – अलग कर लाना होगा | एवं जलाऊ लकड़ी व इमारती लकड़ी की ढुलाई संबधित खंड में खंड प्रभारी द्वारा बताये स्थान पर करनी होगी |
2. लकड़ी ढुलाई के कार्य हेतु की निविदा में भाग लेने के लिए प्रति खंड धरोहर राशि अखरे रूपये 25000/- का डिमांड ड्राफ्ट नियम के खाते को जो कि नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड जैतसर के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक बाजूवाला पर देय हो निविदा के साथ संलग्न करना होगा अथवा NEFT/RTGS के माध्यम से जमा करनी होगी| (IFSC code SBIN0008251, Account No. 41532435884)
3. कार्यरत ठेकेदारो को फार्म के संबधित चक प्रभारी, खण्ड प्रभारी के दिशा निर्देशों अनुसार लकड़ी की ढुलाई सम्बधित खण्ड में निधारित Collection Point में सुव्यवस्थित ढ़ग से लगानी होगी | चक से चालान लेकर ही ट्रोली चक से निकालनी होगी तथा चालान की एक प्रतिलिपि सुरक्षा अधिकारी को देनी होगी |
4. तुलाई एंव ट्रोली भरने से पूर्व सुरक्षा विभाग से टोकन लेना होगा तुलाई का कार्य सांय 4:30 बजे तक ही करना होगा |
5. <u>एक ठेकेदार केवल एक ही खंड में भाग ले सकेगा |</u>
6. किसी भी प्रकार के टैक्स, सेस, शुल्क प्रभार आदि को ठेकेदार द्वारा स्वयं वहन करना होगा |
7. ट्रांसपोर्ट का कार्य फार्म बाउंड्री के अन्दर ही करना होगा |
8. 2 फीट या उससे अधिक व्यास (लपेट) की सीधी लकड़ी के मोछा लगाकर इमारती लकड़ी के ढेर में लाकर रखना होगा |
9. <u>खण्ड -1 की लकडी की तुलाई का कार्य खंड -1 में होगा तथा खण्ड - 2 व 3 की लकडी की तुलाई का कार्य खण्ड - 2 में होगा तुलाई के उपरांत खण्ड -1 की लकडी को खंड में तथा खण्ड - 2 व 3 की लकडी को खण्ड -3 में निधारित जगह पर रखनी होगी |</u>
10. जलाऊ लकड़ी अलग लानी होगीं जिसमे यह सुनिश्चित किया जाना होगा की ढुलाई कर लाई जा रही लकड़ी जलाऊ ही हो उसे अलग-अलग चट्टे में रखना होगा | जलाऊ लकड़ी में इमारती लकड़ी का मिश्रण ना हो |
11. इमारती लकड़ी के मोछा लगाकर लाना होगा | इमारती लकड़ी में जलाऊ लकड़ी का मिश्रण ना हो | इमारती व जलाऊ लकड़ी को अलग –अलग रखना होगा |
12. ढुलाई का कार्य संतोषजनक पूरा होने पर ही धरोहर राशि बिना ब्याज के वापिस की जाएगी |
13. ठेके का कार्य संतोषजनक ढंग से पूरा नहीं करने तथा ठेकेदार अथवा उसके कामगारों द्वारा फार्म क्षेत्र में किसी अन्य पेड़ व लकड़ी को अनाधिकृत रूप से काटता है अथवा फार्म संपत्ति को नुकसान करता है तो उससे होने वाले नुकसान की भरपाई ठेकेदार की लकड़ी ढुलाई के बिल एंव ठेका रद्द कर धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी |
14. उक्त कार्य को करने का समय प्रांत: 8:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक करना होगा
15. पहचान-पत्र की प्रति प्रस्तुत करना होगा |
16. निविदाकर्ता को उसके द्वारा ख़रीदे जाने वाले 500/- रूपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर इन नियमो व शर्तो को करार के रूप में हस्ताक्षर करना होगा | मूल करार फार्म के पास रहेगा |
17. ऊपर दिए गए परिदिष्ट में किसी भी प्रकार के नियमो की परिभाषा, व्याख्या / वर्णन / अनुवाद फार्म प्रमुख केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर द्वारा दी जाएगी जो सर्वमान्य होगी |

18. आवंटित कार्य को पूरा करने की अवधि 1 वर्ष (31 मार्च 2025 तक) की होगी जिसे आवश्यकतानुसार घटाया / बढाया जा सकता है | कार्य आदेश जारी होने के बाद कार्य को 7 (सात) दिनों मै शुरु करना होगा अन्यथा आवंटित कार्य रद्द कर अन्य इच्छुक ठेकेदार को दे दिया जायेगा (ठेकेदार के R[illegible]s) व धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी |
19. यदि फार्म प्रशासन को प्रतीत होगा की कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है तथा लक्ष्य प्राप्ति नही हो पा रही है तो उस स्थिति मै आवंटित ठेका किसी अन्य को दे दिया जायेगा | जिसके लिए सबंधित ठेकेदार ही जिम्मेवार होगा |
20. ठेकेदार को जो उक्त कार्य आवंटित किया गया है वह दूसरे ठेकेदार को कार्य सबलेट नही करेगा तथा उस कार्य क्षेत्र मै वह संदिग्ध व्यक्तियों को नही रखेगा | उक्त कार्य पर लगाये जाने वाले प्रतिनिधि जिसको वह कार्य करने के लिए अधिकृत करता है उसके हस्ताक्षर मय फोटो अखरे रूपये पचास के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से तस्दीक करवाकर , उसकी मूल प्रति तथा छाया प्रति जोकि वह फार्म पर कार्य के दौरान अपने पास अवश्य रखेगा व कार्यस्थल पर मांगने पर देखायेगा | उसके अनुसार ही उन्हें कार्य टोकन जारी किया जायेगा |
21. ARBITRATION

यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष इस आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय–समय पर संशोधित किए गए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करनें के लिए पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत, दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक इस मुद्दे को हल करनें के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। कानून के न्यायालय में जानें से पहले पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा। (In case any dispute arises between NSC and the other party due to any term or matter, both the parties will opt to resolve it through mutual understanding and discussion. In case, dispute remains even after discussion. Then it shall be binding upon parties to resolve issue under the provisions of Arbitration & Conciliation Act, 1996 as amended from time to time under this provision, the chairman-cum-Managing Director, National Seeds Corporation Limited with the concurrence of both the parties shall appoint sole Arbitrator to resolve the issue and both the parties will have to abide by decision. The parties will bind to resolve this dispute through arbitration before going to court of low. The arbitration shall be conducted at New Delhi and shall in English Language. The Court of Delhi shall have the Jurisdiction.)

निविदादाता के हस्ताक्षर

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(भारत सरकार का उपक्रम)
केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर
जिलाः अनूपगढ़, राजस्थान – 335702
सी.आई.एनः यू74899डीएल1963जीओआई003913
(आईएसओ 9001:2015 व 14001:2015 प्रमाणित कम्पनी)

(A Government of India Undertaking)
CENTRAL STATE FARM, JETSAR
Dist. Anupgarh, Rajasthan-335702
CIN:U74899DL1963GOI 003913
(An ISO 9001:2015 & 14001:2015 Certified Company)

दूरभाष/Phone:01498-61202,
वेबसाईट/Website: www.indiaseeds.com ईमेल/E-mail - csf.jetsar@indiaseeds.com

पत्रांक:- के.रा.फा./ जैत/ 10-41/लकड़ी दुलाई/कृषि/2024-25 दिनांक:-21-06-2024

निविदा प्रपत्र

श्रीमान फार्म प्रमुख,
केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर,

महोदय,

आपके कार्यालय के पत्रांक : के.रा.फा./ जैत. /10-41 /कृषि/ 2023-24/ दिनांक 21-06-2024 के द्वारा जारी निविदा सूचना के अंतर्गत फार्म के भिन्न – भिन्न चकों (नहर के Land plan area को छोड़कर) में स्वतः गिरे पेड़ो एवं मृत / सूखे पेड़ो की जलाऊ व इमारती लकडियों को "जहां है जैसा है "के आधार पर स्वयं के साधन से अलग – अलग कर सम्बंधित खंड में निर्धारित Collection Point में सुव्यस्थित ढंग से लगाने हेतु निविदा आमंत्रित की गई है नियम शर्तो के अनुसार वर्णित कार्य हेतु अपनी प्रस्तावित दर दे रहा हूँ / दे रही हूँ | मैने नियम व शर्तो के अनुसार उक्त कार्य के लिए धरोहर राशि रूपये 25,000 (अखरे रूपये पच्चीस हज़ार मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट अथवा RTGS/NEFT/Online जमा करवाकर रसीद साथ में सलंग्न कर रहा हूँ | फार्म द्वारा निर्धारित नियम व शर्तो को मैने पढ़ व समझ लिया है तथा मुझें स्वीकार है | मै निर्धारित नियम एवं शर्तो के अनुसार कार्य करूँगा / करुँगी |

1. निविदादाता का नाम :-
   ....
2. पिता / पति का नाम :-
   ....
3. पूरा पता :-
   ....
4. दूरभाष नंबर / मोबाइल नं.
   ....
5. बैंक का नाम एवं पता , खाता नं. एवं IFSC Code :-
   ....
   ....
6. पैन नं. ....(स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि सलंग्न करें व पैन कार्ड का आधार कार्ड से लिंक हो)
7. पहचान पत्र नं. (वोटर आई.डी. , आधार कार्ड आदि)...(स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि सलंग्न करें |)

8. निविदा शुल्क रु – 236 /- (200 + GST 18 %) : रसीद सं.

....

दिनांक ....अथवा डिमांड ड्राफ्ट सं. / RTGS / NEFT नं.

....

....................................दिनांक ....जारी कर्ता बैंक

....

शाखा ....(ड्राफ्ट सलंग्न)

क्रमांक	कार्य का विवरण	खण्ड	दर प्रति क्विंटल (रूपये में) (सभी करों सहित)
1	फार्म के भिन्न – भिन्न चकों (नहर के Land Plan area को छोड़कर) में स्वतः गिरे पेड़ों एवं मृत / सूखे पेड़ों की जलाऊ व इमारती लकडियों को "जहां हैं जैसा हैं '' के आधार पर स्वयं के साधन से अलग –अलग कर संबधित खंड में निर्धारित Collection Point में सुव्यवस्थित ढंग से लगानी होगी		खण्ड-1	
		खण्ड-2	
		खण्ड-3	

हस्ताक्षर

....

निविदादाता का नाम

....

पत्र व्यवहार का पूर्ण पता

....